रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-20082025-265543
SG-DL-E-20082025-265543

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237]	दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 2025/श्रावण 22, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 178
No. 237]	DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 2025/SHRAVANA 22, 1947	[N. C. T. D. No. 178

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 13 अगस्त, 2025

फा. सं. 1(979)/एचआर–पैरा/स्वा0 एवं परि0 कल्या0/2022/1072.––गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 18/08/1970 की अधिसूचना संख्या फा0 2(11)/69–एसईआर–II के द्वारा अधिसूचित दंत चिकित्सा मैकेनिक के पद हेतु भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में दंत चिकित्सा मैकेनिक के पद हेतु भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–** (i) इन नियमों को दंत चिकित्सा मैकेनिक भर्ती नियमावली, 2025 कहा जाए।
   (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :–** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यता इत्यादि :–** उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता :–**वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति :–** जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव :–** इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**दंत चिकित्सा मैकेनिक**
2.	**पदों की संख्या**	:	05* (2025) *(इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।)
3.	**पदों का वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह–ग, अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–5 (29200–92300/–रुपये)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर–चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18–25* वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) **टीपः**– आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। *यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों की भर्ती होनी हो, तो आयु सीमा 18–27 वर्ष के बीच होगी।

7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**अनिवार्य योग्यता :–** 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से विज्ञान (भौतिक विज्ञान / रसायन विज्ञान / जीव विज्ञान) के साथ 10+2 2. दंत चिकित्सा मैकेनिक में डिप्लोमा। 3. भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् (डीसीआई) / दिल्ली दंत चिकित्सा परिषद् के साथ दंत चिकित्सा मैकेनिक के रूप में पंजीकरण। **टीप 1 :** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड / सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	दो वर्ष **टीप :** सीधी भर्ती वालों को परिवीक्षा की पूर्णता हेतु सक्षम प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना अपेक्षित होगा।
10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा **टीप 1:–** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रूग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिए हुई रिक्तियां मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले तथा कॉलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु यथाविनिर्धारित योग्यता रखने वाले केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकती हैं। **टीप 2:–** प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है; यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। **टीप 3:–** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है**	:	लागू नहीं

12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति** 1. प्रधान सचिव / सचिव (लो0नि0वि0) – **अध्यक्ष** 2. प्रधान सचिव / सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग – **सदस्य** 3. उप–सचिव (शह0वि0) – **सदस्य** **टीप :–** यदि अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
जे0बी0 कपिल, उप–सचिव

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 13th August, 2025

F. No. 1(979)/HR-PARA/H&FW/2022/1072.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification number G.S.R. 840 dated the 13th July, 1959 and in suppression of the Recruitment Rules for the post of Dental Mechanic notified vide Notification No. F.2 (11)/69-Ser.II dated 18/08/1970 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment for the post of Dental Mechanic in the Health and Family Welfare Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely: -

1. Short title and commencement: - (i) These rules may be called the Dental Mechanic Recruitment Rules, 2025.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix: - The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 1 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualification etc.:- The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns No. 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications: - No person, -

(a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said post;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax: - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reason to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving: - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Name of Post.	**Number of Posts**	**Classification of post**	**Level in the pay Matrix.**	**Whether Selection post or non-selection post.**
Dental Mechanic	05*(2025) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'C', Gazetted, Non-Ministerial	Level-5 (Rs. 29200-92300/-) in the Pay Matrix	Not Applicable

(6)	(7)	(8)	(9)
Age limit for direct recruits.	**Education and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.**	**Period of Probation, if any.**
Between 18-25* Years (The upper age limit is relaxable for departmental candidate up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Competent Authority. *In case of post being filled up by all-India open Competition, the age limit would be between 18 Year and 27 years.	**Essential Qualification** 1. 10+2 with Science (Physics/Chemistry/ Biology) from a recognized Board/University. 2. Diploma in Dental Mechanic. 3. Registration as Dental Mechanic with Dental Council of India (DCI)/Delhi Dental Council. **Note 1**: Qualification are relaxable at the discretion of the DSSSB/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.	Not Applicable	Two years **Note**: Direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration, as prescribed by the Competent Authority for Completion of probation.

(10)	(11)	(12)	(13)
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotions or by Deputation/ Absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by Promotion/ Deputation/ Absorption, grades from which promotion /Deputation / Absorption to be made.**	**If a DPC exists, what is its composition.**	**Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitments.**
100% Direct Recruitment. **Note 1**: "Vacancies caused by incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government/ State Government/UTs" holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department and possessing the qualification as prescribed for direct recruits under column 7. **Note 2:-** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not be exceed three years. **Note 3:-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Group-C, Departmental Confirmation Committee: 1. Pr. Secretary/Secretary(PWD) - - **Chairperson** 2. Pr. Secretary/Secretary, Health & Family Welfare Department- **Member** 3. Deputy Secretary (UD)- **Member** **Note:** Senior most member of the Department Confirmation Committee shall act as Chairperson in case notified Chairperson happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.	Not applicable

By Order and in the Name of the Lt. Governor
National Capital Territory of Delhi,

J.B KAPIL, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.08.20 14:57:28 +05'30'